श्री मान् न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय प्रथम श्रेणी, देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता उम्र 31 वर्ष पेषा बेरोजगारी निवासी ग्राम बरगवॉ, पो0 डगा बरगवॉ, थाना बरगवॉ जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

———— परिवादी

बनाम

(1). **अनुराधा प्रसाद मुख्य प्रबन्धक न्यूज–24 ब्रोडकॉस्ट इंडिया लिमिटेंड** पति राजीव सुक्ला व पिता ठाकुर प्रसाद बिजनेस ऑफिस बी0ए0जी0 फिल्म एवं मिडीया लिमिटेंड, एफ0सी0–23, सेक्टर 16–ए, फिल्म सिटी, नोयडा, उत्तर प्रदेश 201301

(2). **देवेन्द्र पाण्डेय** पिता अंजनी कुमार पाण्डेय कुन्दन एजेन्सी के पीछे विन्ध्यनगर जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश मो. न. 9425303690 व 9165538865

(3). **न्यूज–24 आफिसियल व्हाट्सऐप अटेन्डर** पिता नामालुम, कर्मचारी न्यूज–24 बिजनेस ऑफिस बी0ए0जी0 फिल्म एव मिडीया लिमिटेंड, एफ0सी0–23, सेक्टर 16–ए, फिल्म सिटी, नोयडा, उत्तर प्रदेश 201301

(4). **पंकज शर्मा** पिता नामालुम, कर्मचारी न्यूज–24 बिजनेस ऑफिस बी0ए0जी0 फिल्म एवं मिडीया लिमिटेंड, एफ0सी0–23, सेक्टर 16–ए, फिल्म सिटी, नोयडा, उत्तर प्रदेश 201301

———————————— आरोपीगण

परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा

204, 420, 465, 500, 34 IPC

धटना स्थल बरगवॉ जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

धटना दिनांक 20/05/2016 से अब तक

मान्यवर

निम्नांकित अपराधों पर उपरोक्त परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं :–

1. यह कि मान्यनीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05/05/16 को पन्जीकृत किये गये मामला क्रमांक 612/16 पर आदेशित करते हुए 2 आरोपियों के खिलाफ 120–ख, 420, 465, 34–आई0पी0सी0 किया गया। जिसके प्रसारण के लिए दिनांक 15 फरवरी 2013 को आरोपी क्रमांक 2 देवेन्द्र पाण्डेय ने अपने मो0 नं0 9425303690 से मुझ परिवादी के मो0 नं0 7771822877 पर फोन कर यह बताया था कि मामला क्र. 621/16 को प्रसारित करने के लिए कैमरे मे परिवादी व परिवादी वकील का वयान देने की बात कहीं। जिससे आरोपी क्रमांक 2 के कहने पर परिवादी द्वारा दिनांक 21/05/16 को कैमरें मे खुद का वयान दिया गया। एवं मामले की पुरा सबुत व मान्यनीय न्यायालय आदेश की कॉपी आरोपी क्रमांक 2 देवेन्द्र पाण्डेय को दिया गया। एवं आरोपी क्रमांक 2 द्वारा परिवादी से कहा गया कि परिवादी वकील का मामला क्रमांक 621/16 संम्बन्धित बयान कैमरे मे ले कर देने की बात कहीं। जिससे परिवादी द्वारा परिवादी वकील का मामले संम्बन्धित बयान कैमरे मे ले कर आरोपी क्रमांक 2 के व्हाटसॅाप नम्बर 9425303690 व 9165538865 पर दिनांक 26/05/16 को दिया गया। किन्तु मामला प्रसारित नहीं किया गया।

2. यह कि आरोपी क्रमांक 2 के द्वारा दिनांक 06/06/16 को परिवादी से परिवादी वकील का मामले संम्बन्धित बयान कैमरे मे लेने के लिए परिवादी वकील के पास देवसर जाने की बात कहा गया। जिससे परिवादी द्वारा दिनांक 06/06/16 को ही आरोपी क्रमांक 2 के साथ देवसर जा कर परिवादी वकील का बयान कैमरे मे दुवारा दिलाया गया। आरोपी क्रमांक 2 के द्वारा परिवादी से कहा गया कि मामला क 621/16 की खबर 2–3 दिनों मे न्यूज–24 के द्वारा प्रसारित किया जायेगा। किन्तु न्यूज–24 द्वारा दिनांक 16/06/16 तक मामले को प्रसारीत नही किया गया। जिससे परिवादी द्वारा आरोपी क्रमांक 2 से दिनांक 17/06/16 को मामला क 621/16 प्रसारित न किए जाने की जानकारी की मांगने पर आरोपी क्रमांक 2 द्वारा पहला जानकारी दिया गया कि मामला क 621/16 मे कोई सच्चाई नहीं जबकि मान्यनीय न्यायालय द्वारा मामला क 621/16 पन्जीकृत किया गया। आरोपी क्रमांक 2 द्वारा दुसरी जानकारी दिया गया कि कोई खबर फ्री मे प्रसारित नही किया जाता। आरोपी क्रमांक 2 द्वारा तिसरी जानकारी दिया गया कि मामला कमांक 621/16 मे परिवादी वकिल का बयान लेने बैढन से देवसर आने–जाने दुरी 100 किलोमीटर मे आरोपी क्रमांक 2 द्वारा 1500 रू का खर्च किया गया। जो की परिवादी द्वारा नही देने पर मामला प्रसारित किया गया। एवं आरोपी क्रमांक 2 द्वारा परिवादी को अंजाम भुगतने की धमकी दिया जाता रहा हैं। एवं आरोपी क्रमांक 2 द्वारा मामला कमांक 621/16 को दबाने की कोशिश किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आरोपी क्रमांक 2 द्वारा पैसे के लिए मान्यनीय न्यायालय द्वारा मामला क 612/16 मे दिये गये अदेश मे शंका कर मान्यनीय न्यायालय का घोर अपमान किया गया। जिससे आरोपी क्रमांक 2 के

विरूध्द देश द्रोह का मामला पन्जीबध्द किया जाना न्याय हित होगा। स्पष्ट हैं कि आरोपी कमांक 2 द्वारा मान्यनीय न्यायालय का घोर अपमान किया गया। स्पष्ट हैं कि आरोपी कमांक 2 आरोपी हैं।

3. यह कि परिवादी द्वारा दिनांक 14/06/16 को आरोपी कमांक 1 के कम्पनी के कर्मचारी व आरोपी कंमांक 3 से संर्पक न्यूज–24 के आफिसीयल व्हाट्सऐप नंम्बर 9910043896 पर कर मामला कंमांक 621/16 मामले की खबर को प्रसारित करने एवं आरोपी कंमांक 2 की शिकायत किया गया। जिससे आरोपी कंमांक 3 द्वारा दिनांक 22/06/16 को न्यूज–24 के आफिसीयल व्हाट्सऐप नंम्बर को व्हाट्सऐप से हि दिलीट कर दिया गया। जिससे परिवादी द्वारा उक्त घटना को ट्वीटर के माध्यम से प्रसारित किया गया। जिससे आरोपी कंमांक 3 द्वारा दिनांक 25/06/16 को व्हाट्सऐप नंम्बर को पुनः जोड दिया गया। किन्तु न्यूज–24 के आफिसीयल व्हाट्सऐप के प्रोफाईल से फोटो व स्टेटस को दिलीट ही रहने दिया गया। किन्तु परिवादी द्वारा उक्त घटना को ट्वीटर के माध्यम से प्रसारित किया जाता रहा। जिससे आरोपी कंमांक 3 द्वारा व्हाट्सऐप प्रोफाईल मे फोटो डाला गया। जिससे स्पष्ट हैं कि आरोपी कंमांक 3 द्वारा सबुत को मिटाया गया साबित होता हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि आरोपी कंमांक 3 द्वारा अपराध किया गया। एवं आरोपी कंमांक 3 आरोपी कंमांक 2 का साथ दिया साबित होता हैं। स्पष्ट हैं कि आरोपी कमांक 3 आरोपी हैं।

4. यह कि परिवादी द्वारा उक्त घटना को ट्वीटर के माध्यम से प्रसारित किया जाता रहा। जिससे आरोपी कंमांक 4 द्वारा दिनांक 18/07/16 को न्यूज–24 ऑफिस फोन कं +911203911411 से उक्त मामला को दबाने के लिए परिवादी को धमकी दिया गया। एवं उक्त मामले को शांत करने के लिए आरोपी कंमाक 2 से परिवादी व परिवादी वकील का वयान विडिओं दिलवाने की बात कहीं गयी। जिसे आरोपी कं 2 द्वारा स्वीकार किया गया। किन्तु दिनांक 19/07/16 को आरोपी कं 2 द्वारा धमकी देते हुए परिवादी व परिवादी वकील का वयान विडिओं देने से मना कर दिया गया। व अंजाम भुगतने की बात कहा गया। जिससे स्पष्ट हैं कि आरोपी कंमाक 2 के साथ आरोपी कंमाक 4 भी मामला क 621/16 को दवाने मे साथ दिया गया। जिससे स्पष्ट हैं कि आरोपी कंमाक 4 आरोपी हैं।

5. यह कि परिवादी द्वारा उक्त घटना को ट्वीटर के माध्यम से प्रसारित किया जाता रहा। जिससे आरोपी क 1 के द्वारा परिवादी को ट्वीटर मे ब्लाक कर दिया गया। जिससे स्पष्ट हैं कि आरोपी क 1 द्वारा भी मामला कमांक 621/16 को दवाने मे आरोपी क 2 का साथ दिया गया। जिससे स्पष्ट हैं कि आरोपी क 1 भी आरोपी हैं।

6. यह कि परिवादी द्वारा दिनांक 30/06/16 को उक्त घटना की शिकायत पुलिस थाना बरगवॉं मे किया गया। जिससे पुलिस थाना बरगवॉं द्वारा मामले मे कार्यवाही करते हुए दिनांक 16/07/16 को परिवादी का वयान दर्ज किया

गया। एवं परिवादी को आर0टी0आई0 से जानकारी प्राप्त हुआ कि आरोपी क 2 द्वारा पुलिस थाना बरगवॉ को दिये गये बयान मे बताया गया कि न्यायालय की गोपीनियता के कारण मामला कमांक 621/16 खबर प्रसारित नही किया गया। जिससे स्पष्ट हैं कि आरोपी क 2 द्वारा पैंसे के लिए परिवादी एवं परिवादी वकील का बयान कैंमरे म`ले कर मान्यनीय न्यायालय गोपीनियता को भंग किया जाता रहा हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि आरोपी क 2 द्वारा मान्यनीय न्यायालय का घोर अपमान किया जाता रहा हैं। स्पष्ट हैं कि आरोपी कमांक 2 के खिलाफ मामला पन्जीबध्द किया जाना न्याय हित होगा।

7. यह कि परिवादी द्वारा उक्त मामले मे कोई कार्यवाही न होता देख परिवादी द्वारा उक्त मामले की शिकायत कलेक्टर सिंगरौली व पुलिस अधिक्षक सिंगरौली से किया गया। जिससे एस0डी0ओ0पी0 द्वारा उक्त मामले मे दिनांक 09/10/16 को परिवादी का बयान दर्ज किया गया। एवं कार्यवाही किया जा रहा है। किन्तु आरोपी कमांक 2 द्वारा आरोपी कमांक 2 वकील से परिवादी को आरोपी कमांक 2 से मॉफी न मागने पर मानहानी का मामला मान्यनीय न्यायालय मे दायर करने की धमकी दे कर परिवादी को मानसीक प्रहार कर छति पहुचाने की कोशिश किया गया। जिससे परिवादी को परिवादी के मानसम्मान के साथ मानसीक प्रहार किया गया हैं। परिवादी द्वारा आरोपी कमांक 2 वकील द्वारा परिवादी को जारी किया गया नोटिस परिवाद के साथ संलग्न हैं।

8. यह कि उक्त परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत हैं। तथा उचित मूल्य का टिकट चस्पा किया गया है।

अस्तु आवेदन पत्र पेषकर विनम्र हैं कि प्रार्थी परिवादी के समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए परिवाद पत्र आरोपी गण के विरुद्व उचित संज्ञान लेते हुए पंजीबध्द करने की महान दया की जाये जो न्यायहित में होगा।

दिनांक

स्थान

प्रार्थी/परिवादी

निरज गुप्ता

पिता मुन्नी लाल गुप्ता

नि0/ग्रा0 बरगवॉं थाना

बरगवॉं जिला सिंगरौली

मध्य प्रदेश

ईमेल-आईडी Neeraj.gupta615@gmail.com

श्री मान् न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय प्रथम श्रेणी, देवसर
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता उम्र 31 वर्ष पेशा बेरोजगारी निवासी ग्राम बरगवाँ, पो0 डगा बरगवाँ, थाना बरगवाँ जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश
———————— परिवादी

बनाम

(1). अनुराधा प्रसाद वगैरह ———————— आरोपी गण

मनकि निरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता उम्र 31 वर्ष पेशा बेरोजगारी निवासी ग्राम बरगवा पोस्ट डगा बरगवा थाना बरगवां जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश का निवासी हूँ तो निम्न शपथ करता हूँ कि :-

NOTARY

शपथ पत्र

R No. 504
Date 26/10/16
Place Deosar

1. यह कि मै शपथ पूर्वक सत्य सत्य कथन करता हूँ कि परिवाद आवेदन पत्र के पैरा क0 1 ता 7 मेरे स्वयं की जानकारी मे सही व सत्य है। जिसमे कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है।
2. यह कि मै शपथ पूर्वक सत्य सत्य कथन करता हूँ कि परिवाद आवेदन पत्र के पैरा क0 1 ता 7 कोई भी तथ्य झूठा नही हैं जो सही व सत्य है।

दिनांक 26/10/2016 हस्ता0शपथकर्ता

सत्यापन

मै शपथकर्ता शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा क0 1 ता 2 मे वर्णित समस्त इबारत सही एवं सत्य हैं।

दिनांक 26/10/2016 हस्ता0शपथकर्ता

Deponent
Sig. of Executant

The Deponent ....
R/O ....
Who has been Identified by
....
Sworn And Solemnly Affirmed
at 26/10/16

ANANT KUMAR SHUKLA
Advocate
Notary
Deosar Distt. Singrauli (M.P.)